अटल नगर, दिनांक 29 जनवरी 2019

क्रमांक एफ-10-04/2019/वाक/पांच(05). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-04/2019/वाक/पांच(05), दिनांक 29-012019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 29th January 2019

NOTIFICATION
No. 05/2019 – State Tax

No. F-10-04/2019/CT/V(05). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 8/2017-State Tax notification No. F-10-46/2017/CT/V(90), dated the 1st July, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 274, dated the 4th July, 2017, namely:-

In the said notification, for the portion beginning with the words "an amount calculated at the rate of" and ending with the words "half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods in State in case of other suppliers", the words and figures, "an amount of tax calculated at the rate specified in rule 7 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017:" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जनवरी 2019

अधिसूचना
संख्या 06/2019- राज्य कर

क्रमांक एफ-10-04/2019/वाक/पांच(06). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 65/2017-राज्य कर, क्रमांक एफ-10-93/2017/वाक/पांच(171), दिनांक 15 नवम्बर, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 489 तारीख 15 नवम्बर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के परंतुक में, "संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड 4 के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में, जम्मू कश्मीर राज्य से भिन्न"शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) के पहले परंतुक में" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।